संदर्भ सं 12(17)/एलसी/2008/पी-III/ दिनांक 25 /01/2023

<u>आदेश</u>

1. जबकि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के खंड 13(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश संदर्भ No.12(17)/LC/2008/Part-III/213 दिनांक 12 सितंबर 2022 टी बोर्ड के लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ हरी चाय की पत्तियों को तोड़ने/प्राप्त करने की अंतिम तिथि के संबंध में एवं सभी चाय निर्माण इकाइयों द्वारा अनिवार्य अनुपालन के लिए दिसंबर, 2022 को समाप्त होने वाले मौसम के लिए सिक्किम और दार्जिलिंग हिल्स सहित उत्तर बंगाल के क्षेत्र में चाय निर्माण इकाइयों द्वारा प्रसंस्करण की इसकी अंतिम तिथि।
2. जबकि चाय की पत्तियों की तुड़ाई और चाय का विनिर्माण अगले फसल सत्र वर्ष 2023 से शुरू करना होगा, जब चाय की झाडियों की सर्दी सुप्तावस्था समाप्त हो जाएगी और चाय की झाड़ियाँ नए सिरे से चाय की पत्ती/अंकुरित कलियों का उत्पादन शुरू कर देंगी।
3. जबकि, चाय झाड़ियों के प्राकृतिक फसल पैटर्न के अनुसार वर्तमान फसल सीजन के चाय निर्माण को शुरू करने के लिए एक उपयुक्त समयरेखा निर्धारित करने के लिए उद्योग हितधारक, वैज्ञानिक संस्थान से सुझाव/प्रतिक्रियाएं सुनी/प्राप्त की गई हैं।
4. इसलिए, इस क्रम में उपरोक्त आदेश के क्रम सं 1 में डूआर, तराई, बिहार, सिक्किम और दार्जिलिंग हिल्स, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्रों के सभी चाय विनिर्माताओं और उत्पादकों द्वारा अनिवार्य अनुपालन के लिए निम्नलिखित निदेश जारी किए गए हैः

क्र.सं	विवरण	रोपण क्षेत्र	कार्यान्वयन की तिथि
1.	वर्ष 2023 के लिए चाय विनिर्माण प्रारंभ करने हेतु सभी चाय कारखानों के लिए हरी पत्तियों की तुड़ाई/प्राप्ति की प्रारम्भ तिथि	डुअर्स, तराई व बिहार	18/02/2023 (शनिवार)
2.		दार्जिलिंग हिल्स व सिक्किम	27/02/2023 (सोमवार)
3.		हिमाचल प्रदेश	06/03/2023 (सोमवार)
4.		उत्तराखंड	06/03/2023 (सोमवार)
5.	उत्पादक जो अर्थोडॉक्स/विशिष्ट चाय बनाएंगे, पूर्व आदेश संदर्भ संख्या 12(17)/एलसी/2008/पी-III दिनांक 16.01.2023 के अनुसार उक्त गतिविधि शुरू कर सकते हैं।		

उपाध्यक्ष, टी बोर्ड
व पंजीकरण प्राधिकारी

<u>वितरण: (ओवर-लीफ पर)</u>

वितरण:

1.	संबंधित क्षेत्र के सभी चाय उत्पादक संघ	सदस्यों के बीच सूचना एवं प्रसार के लिए सख्त अनुपालन हेतु
2.	संबंधित क्षेत्र की सभी बॉट लीफ टी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन	
3.	संबंधित क्षेत्र के सभी लघु चाय उत्पादक संघ	
4.	टी बोर्ड सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और पालमपुर के सभी क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय	सभी हितधारकों के बीच परिचालित करने और आदेश के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु
5.	निदेशक चाय विकास, टी बोर्ड	सूचना हेतु
6.	सिस्टम एनालिस्ट, टी बोर्ड	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड हेतु